न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू:– 05.08.2024

मुकदमा नं0 147 / 2024

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. नेमजी उर्फ नेमी, उम्र 70 साल पुत्र घसीडा, जाति–मीना, निवासी–नईकोठी, खेडीशीश, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली (राज०)
2. हरीमन आयु 55 साल पुत्र प्रभूलाल, जाति–मीना, निवासी–नईकोठी, खेडीशीश, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली (राज०)
3. राधामोहन आयु 42 साल पुत्र मेहकीराम, जाति–मीना, निवासी–नईकोठी, खेडीशीश, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली (राज०) ———— सायलान

बनाम

1. रामकेश उम्र 35 साल	पिसरान धर्मसिंह,
2. जसराम उम्र 32 साल	जातियान मीना, निवासी
3. सीताराम उम्र 27 साल	ग्राम खेडीशीश, तहसील श्रीमहावीरजी,
4. मुकेश उम्र 25 साल	जिला करौली
5. भूरा उम्र 23 साल	राजस्थान।
6. हेमराज उम्र 21 साल	

7. श्रीमती अमरपती आयु 60 साल बेवा धर्मसिंह, जाति मीना, निवासी ग्राम खेडीशीश, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली, राजस्थान।
8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदारजी, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली राजस्थान ———————————————— गैरसायलान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रकवा 0.24 हे० बना है स्थित ग्राम खेडीशीश के खातेदारान धर्मसिंह, हरजी व भरती द्वारा विधिवत बंटवारा कर लिये जाने के उपरान्त भूमि खसरा नम्बर 241/3 रकवा 0.8 हे० गैरसायल संख्या 01 लगायत 07 के पिता व पति की खातेदारी में दर्ज हुआ है। भूमि खसरा नम्बर 241/3 के खातेदार धर्मसिंह का देहावसान हो गया है और गैरसायलान मृतक धर्मसिंह के जायज कायम मुकामान/वारिसान हैं कि जो उसके तर्फे पर काबिज व दखील हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि गैरसायलान अत्यंत ही चतुर–चालाक व बेईमान प्रवृत्ति के व्यक्ति है। भूमि खसरा नम्बर 241 का रकवा साबिक रकवा की तुलना में 12 ऐयर रकवा दौराने सैटिलमेंट बढ़ा दिये जाने से गैरसायलान के दिलोदिमाग में बेईमानी व लालच उपजने से सायलान व आमजन के प्रयोग के आम रास्ते की भूमि को बिना किसी हक व अधिकार के जोत लगाकर व पुख्ता बाउण्ड्रीवाल कर रास्ते की भूमि को भूमि खसरा नम्बर 241/3 में मिलाकर रास्ते को अवरुद्ध करने की कुचेष्टा में है कि जिसके लिए निर्माण सामग्री लाकर मौके पर पटक दी है। गैरसायल नम्बर 03 सीताराम विद्युत विभाग में कर्मचारी है कि जिसने अपने प्रभाव से आम रास्ते की भूमि में पोल गाढ़कर कृषि कनेक्शन लिया है। गैरसायलान द्वारा किये जा रहे उक्त अवैधानिक कार्य की शिकायत तहसीलदार श्रीमहावीरजी से करने पर तहसीलदार श्रीमहावीरजी द्वारा जरिये पटवारी हल्का व गिरदावर सर्किल से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई कि जिस पर दिनांक 29.07.2024 को हल्का पटवारी इरनिया व गिरदावर सर्किल ने मौका निरीक्षण कर भूमि खसरा नम्बर 241/3 एवं खसरा नम्बर 243 के मध्य (यानि मेंड़) पर लगभग 40 वर्षों से पगडण्डी होना अपनी रिपोर्ट में बताया है एवं अंकित किया है कि पुराने राजस्व रिकॉर्ड अनुसार स्पष्ट रूप से राजस्व रिकॉर्ड में पगडण्डी अंकित है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी प्रमाणित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 21.07.2024 को सुबह 9 बजे का है कि गैरसायलान भूमि खसरा नम्बर 241/3 की पूर्व दिशा के सहारे होकर सायलान के रिहायशी मकानीयत–नईकोठी को जाने वाले

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः—1. श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट सायलान

2. श्री राधेश्याम शर्मा गैरसायलान

निर्णय

दिनांक :— 06.01.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरुद्ध उपरोक्त उनवानी दावा माननीय न्यायालय में मजबूत आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी—पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि सायलान ग्राम खेडीशीश, तहसील श्रीमहावीरजी के स्थायी निवासी हैं और बजमाने बुजुर्गान अपने खेतों खसरा नम्बर 2991/1, खसरा नम्बर 252 पर नईकोठी (कुआ साबिक खसरा नम्बर 188 हाल खसरा नम्बर 226 रकवा 06 ऐयर) खेडीशीश के नाम से बसाये गये पुरा (ढाणी) में स्थायी रूप से कच्चे व पक्के निर्माण कर रिहायश करते चले आ रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि ग्राम खेडीशीश में घम्मन के घर के पास से सायलान के रिहायशी मकानात नईकोठी खेडीशीश तक ट्रैक्टर—ट्रॉली, बैलगाडी, ऊंटगाडी, पशुधन, कृषि पैदावार, चारा फूंस आदि लाने ले जाने एवं आवागमन के लिए सदैव से ही भूमि साबिक खसरा नम्बर 191 रकवा 11 बिस्वा कि जिसका बाद सैटिलमेंट नया खसरा नम्बर 241 रकवा 0.24 है० बना है, के पूर्वी डौल के सहारे होकर बने हुए 15 फीट चौड़ाई व करीब 600 फीट लम्बाई के बने आम रास्ते को उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। साबिक सीट में डोटेड—डोटेड़ लाइनों से आम रास्ता दर्शित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि भूमि साबिक खसरा नम्बर 191 रकवा 11 बिस्वा कि जिसका बाद सैटिलमेंट नया खसरा नम्बर 241

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

आम रास्ते में नींव खुदाई कर आम रास्ते को अवरुद्ध/रुकावट पैदा कर रहे थे तो सायलान ने मौके पर आकर गैरसायलान से ऐसा नहीं करने व आम रास्ते को सुचारू रखने का निवेदन किया तो गैरसायलान आग बबूला हो गये और गंदी–गंदी गालियां देते हुए सायलान के साथ दंगा फसाद करने को उतारू हो गये और सायलान को धमकी दी कि हम तुम्हारे व आमजन के उपयोग उपभोग के रास्ते को अवरुद्ध कर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल करेंगे, तुमसे बने सो कर लेना। सायलान को अंदेशा है कि गैरसायलान अगर अपने उक्त मंसूबे में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी कि जिसकी क्षतिपूर्ति होना किसी भी प्रकार दृव्य से संभव नहीं होगी, इसलिए प्रार्थना पत्र सायलान विरुद्ध गैरसायलान पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि सायलान का प्रथम दृ ष्ट्या केस, अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु व सुविधा का संतुलन बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे सायलान के भूमि खसरा नम्बर 241/3 के पूर्व दिशा की मेंड़ के सहारे यानि घम्मन के घर के पास से सायलान के रिहायशी परिसर नईकोठी खेडीशीश तक के 15 फीट चौड़ाई व 600 फीट लम्बाई के आम रास्ते में सायलान के उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत मदाखलत किसी प्रकार की पैदा नहीं करें और ना किसी अन्य से करावें तथा ऐसा कोई कार्य ना तो गैरसायलान स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करावें, जिससे उक्त रास्ते में सायलान के विधिक हकहकूकों व अधिकारों को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचे, गैरसायलान रास्ते में कोई निर्माण कर या अवरोधक डालकर रुकावट पैदा नहीं करें, उक्त रास्ते का सायलान को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने से नहीं रोकें, रुकावट पैदा नहीं करें तथा भूमि खसरा नम्बर 241/3 की मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 12.09.2024 को गैरसायल सं01 ता 7 की ओर से श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया तथा दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

06.10.2025 को गैरसायल सं01 ता 7 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 1 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है। सायलान द्वारा गैरसायलान के विरुद्ध दावा माननीय न्यायालय में बिल्कुल झूठे व बनावटी तथ्यों के आधार पर पेश किया है जिसमें सायलान को सफलता मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में सायलान ग्राम खेडीशीश, तहसील श्रीमहावीरजी के निवासी होना स्वीकार है। शेष इबारत जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 3 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है। घम्मन के घर से पास से सायलान के रिहायशी मकानात नई कोठी खेडीशीश तक ट्रैक्टर ट्रोली, बैलगाडी, ऊँटगाडी, पशुधन, कृषि पैदावार, चारा फूंस आदि लाने से जाने एवं आवागमन के लिये सदैव से ही भूमि साबित खसरा नं. 191 रकबा 11 स्वि में होकर सायलान का कोई आम रास्ता नहीं है और ना ही साबिक ट्रेस में दर्शाया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं 4 में भूमि खसरा नम्बर 241/3 के खातेदार धर्मसिंह का देहावसान होना व गैरसायलान मृतक धर्मसिंह के जायज कायम मुकामी वारिसान होना स्वीकार है, शेष इबारत जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 5 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है। मौके पर कोई रास्ता ही नहीं है तो गैरसायलान द्वारा रास्ते की भूमि को जोत लगाकर भूमि खसरा नं. 241/3 में मिलाकर रास्ते को अवरुद्ध करने की कुचेष्ठा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। गैरसायलान ने विद्युत कनेक्शन विधिवत् लिया है तथा तहसीलदार श्रीमहावीरजी द्वारा दिनांक 29.07.2024 को हल्का पटवारी इरनिया व गिरदावर सर्किल के द्वारा जो रिपोर्ट मंगवाई है उसकी गैरसायलान को कोई जानकारी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नहीं है तथा गैरसायलान की गैरमौजूदगी में उक्त रिपोर्ट सायलान ने आपसी साजकर तैयार की गई है जो गैरसायलान के खिलाफ शून्य व प्रभावहीन है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 6 जिस प्रकार तहरीर है गलत है, अस्वीकार है। गैरसायलान ने अपनी कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नं. 241/3 की पूर्व दिशा की तरफ करीब 5 ऊँची पक्की बाउन्ड्रीवाल पहले से ही कर रखी है। सायलान व गैरसायलान के मध्य उक्त मद में दर्ज कोई बात नहीं हुई और ना ही गैरसायलान ने कोई गालीयॉ दी, सायलान का वहाँ होकर कोई रास्ता ही नहीं है तो गैरसायलान द्वारा अवरुद्ध करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सायलान ने उक्त प्रार्थना पत्र बिल्कुल ही गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है, जो मय खर्चा खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 7 गलत है, अस्वीकार है। सायलान के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू व सुविधा का संतुलन बखूबी साबित नहीं होकर गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

विशेष—विवरण

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि साबिक खसरा नं. 191/1 रकबा 12 विस्वा व 192/2 रकबा 11 विस्वा के खातेदारान रामचन्द्र, श्रीनारायण, मेघराम पिसरान कजोडया से उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र भरती, हरजी पिसरान मीढया व धर्मसिंह पुत्र राजूलाल ने क्रय की थी जिसका नामान्तकरण सं. 88 दिनांक 31.01.2083 को खुल गया तथा तभी से ही गैरसायलान उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं जिससे सायलान का कोई सम्बंध वास्ता नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि भूप्रबन्ध विभाग ने साबिक खसरा नं. 191/1 रकबा 11 विस्वा व 191/2 रकबा 12 विस्वा के हाल खसरा नं. 241 रकबा 24 ऐयर तो सही दर्ज कर दिया लेकिन भूप्रबन्ध

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

विभाग ने साबिक खसरा नं. 191 का रकबा 23 विस्वा की जगह मिलान क्षेत्रफल में 11 विस्वा ही दर्ज कर दिया जबकि साबिक खसरा नं. 191 का रकबा 23 विस्वा साबिक जमाबन्दी में दर्ज है, इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग ने मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नं. 191 का रकबा 11 विस्वा ही दर्ज कर रिकॉर्ड ऑफ राईट की पवित्रता को नष्ट कर दिया।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि भूप्रबन्ध विभाग की उक्त गलती का नाजायज फायदा उठाकर सायलान जबरन गैरसायलान की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नं. 241/3 रकबा 8 ऐयर कर जबरन कब्जा करना चाहते है जिसका कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि गैरसायलान की हाल खातेदारी की भूमि खसरा नं. 241/3 के पश्चिम दिशा में सायलान की भूमि हाल खसरा नं. 236/867 स्थित है तथा सायलान अपनी भूमि में ही होकर आवागमन करते है जबकि सायलान का गैरसायलान की भूमि खसरा नं. 241/3 पूर्व दिशा में कोई रास्ता नहीं है और ना ही कभी पहले रहा है और ना ही वर्तमान में है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 15 में दर्ज किया है कि सायलान ने उक्त दावा मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है तथा सायलान ने उक्त दावे में जो रिलीफ चाही है. उक्त रिलीफ को देने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है, इसलिए सायलान का उक्त दावा विधि द्वारा वर्जित होने के कारण मय खर्चा खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 16 में दर्ज किया है कि सायलान जबरन गैरसायलान को अपनी खातेदारी की भूमि हाल खसरा नं. 241/3 रकबा 8 ऐयर में अपने मवेशियों की रक्षा व अपने सामान की रक्षा करने हेतु डण्डा नहीं करने दे रहे हैं जिसका सायलान को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 17 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान को हरेशमेन्ट करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो मय खर्चा खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 18 में दर्ज किया है कि सायलान क्लीन हैण्ड से माननीय न्यायायल के समक्ष नही आये है, इसलिए सायलान कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायलान विरुद्ध गैरसायलान मय हर्जा खर्चा खारिज करने के आदेश फरमावें।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 किता 3, फोटो प्रति नक्शा ट्रेस साबिक व हाल, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2046, फोटो प्रति पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बरगमा की मुताविक राजस्व रिकार्ड एवं मौका रिपोर्ट, पेश की है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 191 रकबा 0.27 है0, 195 रकबार 0.15 है0, 196 रकबा 0.29 है0, 197 रकबा 0.25 है0, 236/887 रकबा 0.15 है0, 252 रकबा 0.21 है0, 306 रकबा 0.22 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम खेडीशीश तहसील श्रीमहावीरजी की

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खातेदारी श्रीमन पुत्र प्रभू हि0 1/2, हरिमन पुत्र प्रभू हि0 1/2 जाति मीना सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 198 रकबा 0.10 है0, 200 रकबा 0.34 है0, 201 रकबा 0.21 है0, 211 रकबा 0.44 है0, 212 रकबा 0.33 है0, 228 रकबा 0.04 है0, 229 रकबा 0.04 है0, 235 रकबा 0.10 है0, 250 रकबा 0.01 है0, 251 रकबा 0.05 है0, 291/1 रकबा 0.13 है0, 292/1 रकबा 0.15 है0, 2991/1 रकबा 0.30 है0, 305/898 रकबा 0.12 है0, 75 रकबा 0.13 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 2.49 है0 वाके ग्राम खेडीशीश तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी कमला पुत्री रामप्यारी हि0 1/2, नेमी पुत्र घसीडा हि0 1/2 जाति मीना सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 241/3 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम खेडीशीश तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी धर्मसिंह पुत्र राजूलाल जाति मीना सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2046 के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बरान से नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार कायम किये गये हैं :–

साबिक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
191	11 बिस्वा	241	0.24
192	12 बिस्वा	243	0.13
193 मिन 193/2	13 बिस्वा 13 बिस्वा	248	0.31
195	9 बिस्वा	249	0.13

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फोटो प्रति नक्शा ट्रेस साबिक व हाल का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 191 की पूर्वी डोल के सहारे सहारे होकर साबिक खसरा नम्बर 192, 193, 195 में होकर डोटेड लाईन से रास्ता बना हुआ है। किन्तु दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 191 से कायम किये गये नवीन खसरा नम्बर 241 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम खेडीशीश तहसील श्रीमहावीरजी के पूर्व दिशा में हाल खसरा नम्बर 243 व 248 कायम किये गये हैं। किन्तु नवीन राजस्व सीट में खसरा नम्बर 243 व 248 में से उक्त डोटेड रास्ता को हजफ कर दिया गया है।

फोटो प्रति पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बरगमा की मुताविक राजस्व रिकार्ड एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 29.07.2004 में अंकित किया है कि तहसीलदार हिण्डौन के पत्रांक एलआर/803 दिनांक 23.07.2024 की पालना में परिवाद में अंकित बिन्दूओं की रिपोर्ट मुताविक राजस्व रिकार्ड एवं मौका अनुसार निम्नानुसार है :–

1. यह कि, खसरा नम्बर 241/3 रकबा 0.08 है0 धर्मसिंह पुत्र राजूलाल जाति मीना सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं खसरा नम्बर 243 रकबा 0.13 है0 घम्मन पुत्र किशोरी हि0 1/7 जाति मीना वगैराह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

2. यह कि, मुताविक राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 241/3 एवं 243 के मध्य कोई रास्ता दर्ज नहीं है।

3. यह कि, मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा इन दोनों खसरा नम्बर 241/3 एवं 243 के मध्य (यानि मेंढ) पर लगभग 40 वर्षों से पगडंडी होना बताया, जिस बाबत् मौके पर उक्त सम्बन्ध में पुराना राजस्व रिकार्ड भी बताया, जिसमें स्पष्ट रूप से पगडंडी अंकित है।

4. यह कि, मौके पर खसरा नम्बर 241/3 के खातेदार धर्मसिंह पुत्र राजूलाल मीना के पुत्र रामकेश द्वारा मौके पर उक्त खसरा नम्बर के चारों तरफ सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जा रहा है, जिसे मौके पर कार्य को बन्द

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

करने को कहा तो खातेदार धर्मसिंह के पुत्र रामकेश ने स्पष्ट मना कर दिया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 191 की पूर्वी डोल के सहारे सहारे होकर साबिक खसरा नम्बर 192, 193, 195 में होकर डोटेड लाईन से रास्ता बना हुआ है। किन्तु दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 191 से कायम किये गये नवीन खसरा नम्बर 241 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम खेडीशीश तहसील श्रीमहावीरजी के पूर्व दिशा में हाल खसरा नम्बर 243 व 248 कायम किये गये हैं। किन्तु नवीन राजस्व सीट में खसरा नम्बर 243 व 248 में से उक्त डोटेड रास्ता को हजफ कर दिया गया है। पक्षकारान के मध्य रास्ते का विवाद है। पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बरगमा की मुताविक राजस्व रिकार्ड एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 29.07.2004 के अनुसार गैरसायल सं01 के द्वारा उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 241/3 रकबा 0.08 है0 में बिना रास्ता छोडे चारों तरफ सुरक्षा दीवार का निर्माण करना चाह रहा है। इस प्रकार गैरसायलान के द्वारा उक्त खसरा नम्बर 241/3 रकबा 0.08 है0 में रास्ता की भूमि पर यदि पुख्ता निर्माण कर लिया गया तो उससे सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है तथा सायलान का रास्ता अवरूद्ध होने की पूर्ण सम्भावना है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित होता है। ऐसी स्थिति में पक्षकारों के मध्य और विवाद नहीं बढे इसलिए गैरसायलान को उक्त विवादित आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 241/3 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम खेडीशीश तहसील श्रीमहावीरजी के मौके की यथास्थिति

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बनाये रखें तथा उक्त भूमि में कोई निर्माण किसी प्रकार का नहीं करें। गैरसायलान ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/1/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली